

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्मार पत्र

प्रेषक,

विमलेश कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-14-3-22

विषय:- समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम तथा आवास की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्र सं०-666 दिनांक 14.01.2020 ।

महाशाय,

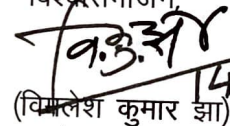
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र सं० 666 दिनांक 14.01.2020 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा समाहरणालयों एवं अनुमंडल कार्यालयों में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने संबंधी निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। कतिपय जिलों में महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम एवं आवास की समुचित व्यवस्था नहीं रहने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उल्लेखनीय है कि विगत कई वर्षों से काफी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा में महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जो विभिन्न समाहरणालयों एवं अनुमंडल कार्यालयों में पदस्थापित हैं। महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम एवं आवास की व्यवस्था नहीं रहने से उन्हें कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः अनुरोध है कि विभागीय पत्र सं० 666 दिनांक 14.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अपने अधीनस्थ समाहरणालय एवं अनुमंडल कार्यालयों में कार्यरत महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक- 14.01.20

विषय:- समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं/अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने एवं महिला पदाधिकारियों के लिए अलग शौचालय/वाशरूम तथा आवास की व्यवस्था कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न जिला पदाधिकारियों के द्वारा जिला समाहरणालयों में पदस्थापित वरीय उप समाहर्ताओं के कार्य की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक वरीय उप समाहर्ता को वाहन उपलब्ध कराने सहित अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। जिलों में पदस्थापित वरीय उपसमाहर्ताओं को कार्य संपादित करने के लिए अक्सर क्षेत्र भ्रमण पर जाना पड़ता है। वाहन के अभाव में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य संपादन करने में कठिनाई होती है।

2.. महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित होने के कारण काफी अधिक संख्या में महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें जिलों में प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया गया है। समाहरणालयों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय/वाशरूम एवं समुचित आवासों की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भी कठिनाई हो रही है।

3.. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ताओं एवं अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित अपर अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा मुख्यालय स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर कार्यसंपादन हेतु निम्नांकित प्रक्रियानुसार भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है:-

(i) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को किसी ऐसे कार्यालय/प्रशाखा का प्रभार मिले जिसमें पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी उपलब्ध वाहन का ही उपयोग करेंगे।

(ii) समाहरणालय/अनुमंडल कार्यालय में पूर्व से सरकारी वाहन उपलब्ध हो, तो वरीय उप समाहर्ता/अपर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध वाहन आवंटित किया जायेगा।

(iii) जिला पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना से भाड़ा मद में आबंटन प्राप्त करेंगे।

(iv) भाड़े पर वाहन लेने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार की जाएगी।

(v) भाड़े पर ली जानेवाली वाहन मद के व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन में जिला कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय के लिए वाहन भाड़ा मद में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4.. जिलों में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(Amir Subhani)
(आमिर सुबहानी) 14.1.2020
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-1003/10-सा0प्र0- 666 /पटना-15, दिनांक- 14.01.2020
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना से अनुरोध है कि जिलों में पदस्थापित महिला पदाधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शौचालय/वाशरूम एवं आवास की अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(m)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-12/विविध-1003/10-सा0प्र0- 666 /पटना-15, दिनांक- 14.01.2020
प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(m)

अपर मुख्य सचिव

14.1.2020